ग्राम पंचायत बातल, विकास खंड कुनिहार, जिला सोलन के लेखों का
लेखा परीक्षा एवं निरिक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016
भाग-एक

1 प्रस्तावना:-

(क) ग्या रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने एवं संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्यां PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07/04/2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बातल, विकास खंड कुनिहार, जिला सोलन के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

(परिशिष्ट-ड़)

क्रम संख्यां	प्रधान	अवधि	सचिव	अवधि
1.	श्रीमती बबीता शर्मा	1/04/2013 से 23/01/2016	श्री महेंद्र कुमार	1/04/2013 से 26/06/2015
2.	श्री रतन लाल शर्मा	24/01/2016 से लगातार	श्रीमती नीलम	27/06/2015 से लगातार

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं०	पैरा संख्यां	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4 (ख)	वितीय स्थिति व बैंक खातों के अंत शेष में अंतर पाया जाना	0.35
2	7	विभिन्न अनुदानों से संबन्धित राशियों का उपयोग न करना	11.68
3	10	आय से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	12.91
4	11 (ग)	क्रय से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	2.68
5	11 (घ)	आवास अटल आवास योजना के अंतर्गत भुगतान की गयी राशि से संबन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	0.53
6	11 (च)	भुगतानों की एवज में रसीदें प्रस्तुत न करना	0.65
7	11 (ज)	वाउचर पर प्रधान के आदेश पारित किए बिना ही भुगतान करने बारे	1.29

भाग -दो

2 वर्तमान अंकेक्षण-

ग्राम पंचायत बातल के अवधि 1-04-2013 से 31.3.201 6 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शायें गए है, श्री पुनीश सागर अनुभाग अधिकारी द्वारा 1/08/2016 से 6/08/2016 के दौरान ग्राम पंचायत बा तल में किया गया। लेखा परीक्षण के दौरान आय की विस्तृत जांच हेतु माह 8/13, 3/15 व 11/15 तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह 8/13, 10/14 व 11/15 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शायें गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है। पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने /अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 लेखा परीक्षा शुल्क:-

ग्राम पंचायत बातल के अवधि 4/2013 से 3 /2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/- बनता है। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) के ज्ञापन संख्यां 13 दिनांक 6/08/16 द्वारा यह राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदे शक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया|

4 वित्तीय स्थिति:-

(क) ग्राम पंचायत बातल द्वारा प्रस्तुत पंचायत की स्व-स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित अवधि 1.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति यथा परिशिष्ट “क” पर संलग्न “है।

वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	817256.00	1503769.00	2321025.00	1692253.00	628772.00
2014-15	628772.00	912802.00	1541574.00	608070.00	933504.00
2015-16	933504.00	1512424.00	2445928.00	1278121.00	1167807.00

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष = 1167807.00

(परिशिष्ट "क")

दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक खातों के अनुसार शेष = 1132048.00

(परिशिष्ट "क")

हस्तगत राशि =31.00

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न योग =1132079

अन्तर=11+7807-1132079=35728

(ख) स्व-स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति में अनियमितताओं के बारे में:-

(i i) बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे :-

अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत की गई ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों (परिशिष्ट "क") तथा हस्तगत राशि सहित के शेषों में दिनांक 31.3.2016 को उपरोक्त विवरण के अनुसार ₹35728 का अंतर दर्शाया गया है| कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अंतर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया और न ही दिनांक 31/03/16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत की गई| अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों ₹35728 के अंतर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिचित की जाए |

(ii) स्वस्त्रोतों तथा अनुदानों से सम्बन्धित आय/व्यय दर्ज करने हेतु पृथक रोकड़ बहियों का रख रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्यां 1 दिनांक 18/07/16 तथा अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां 12 दिनांक 04/08/16 द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से भी स्वस्त्रोतों तथा अनुदानों से सम्बन्धित वित्तीय स्थित पृथक-2 रूप से प्रस्तुत करने बारे आग्रह किया गया था , परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही की गई| अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वस्त्रोतों तथा अनुदानों से सम्बन्धित आय व्यय के लिए एक ही रोकड़ बही व सयुंक्त बैंक खातों का रख रखाव किया जा रहा था तथा खाता बही में आय/व्यय से सम्बन्धित विभिन्न शीर्षों के अंतिम शेष नहीं निकाले गए थे| उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान न तो स्वस्त्रोतों तथा अनुदानों से सम्बन्धित शुद्द आय तथा व्यय बारे तथा न ही दिनांक 31/03/16 को स्वस्त्रोतों के शुद्द शेष तथा अनुदानों के शुद्ध शेष बारे स्थिति स्पष्ट हो सकी| अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब इस बारे अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ताकि दिनांक 31/03/16 को स्वस्त्रोतों तथा अनुदानों के शुद्द शेषों बारे स्थिति स्पष्ट हो सके| इसके अतिरिक्त भविष्य में स्वस्त्रोतों तथा

अनुदानों से सम्बन्धित आय व्यय को दर्ज करने हेतु पृथक-पृथक रोकड़ बहियों तथा पृथक-पृथक बैंक खातों का रख रखाव किये जाने के साथ-2 खाता बहियों को नियमित रूप से updat किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए|

(ग) ग्राम पंचायत बातल के मनरेगा से सम्बन्धित अवधि 1. 04.2013 से 31. 03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति यथा परिशिष्ट "क" अनुसार निम्न प्रकार से है।

वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	31461.00	83235.00	114696.00	114696.00	0
2014-15	0	151484.00	151484.00	149828.00	1656.00
2015-16	1656.00	186675.00	188331.00	186675.00	1656.00

दिनांक 31/03/201 5 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष जोकि हस्तगत रसशी के रूप में शेष है =-1656.00

नोट :-अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट"क", पृष्ठ संख्यां 25 के अनुसार)** के अनुसार ग्राम पंचायत ने मनरेगा से सम्बन्धित बैंक खाते को दिनांक 31/03/14 को बंद करवा दिया था|

5 सावधि निवेश:-

ग्राम पंचायत द्वारा उपब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट घ)** के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशी सावधि जमा में निवेश नही की गई थी , जबकि हि०प्र० पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचयात को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके| इस संदर्भ में यह प्रतीत होता हो कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है| अत: सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गये निदेशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके|

6 विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत प्राप्तियों व भुगतान सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध न करवाने बारे :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्यां 1 दिनांक 18/07/16 तथा अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां 12 दिनांक 4/08/16 द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से भी अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित विभिन्न अनुदानों की पृथक-पृथक रूप से वर्षवार आरम्भिक शेषों, प्राप्तियों, भुगतानों तथा अंतिम शेषों बारे जानकारी मांगी गई थी , परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह जानकारी सम्बन्धित अभिलेख सहित अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही की गई| अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत में स्वस्त्रोतों तथा अनुदानों से सम्बन्धित प्राप्तियों व भुगतान के लिए

एक ही रोकड़ बही व सयुंक्त बैंक खातों का रख रखाव किया जा रहा था तथा यह भी प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में रजिस्टर का रख रखाव भी नहीं किया जा रहा था , क्योंकि बार-2 मांगने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया| उपरोक्त परिस्थितियों के कारण विभिन्न अनुदानों की पृथक -2 रूप से अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित वर्षवार आरम्भिक शेषों, प्राप्तियों, भुगतानों तथा अंतिम शेषों बारे पड़ताल करना सम्भव नहीं था| अत: उपरोक्त जानकारी उपलब्ध न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब इस बारे अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करके तथा उपरोक्त जानकारी तैयार करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए| इसके अतिरिक्त भविष्य में अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव भी सही रूप से किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये |

7 निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित राशियों का उपयोग न करना

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट क)** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति (स्वस्त्रोत तथा अनुदान) के अनुसार ₹1167807/- शेष थी तथा इस राशि में से विभिन्न अनुदानों की शेष राशि भी सम्मिलित थी| इस से यह प्रतीत होता है कि अनुदान की राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नही किया गया था, जिसके फलस्वरूप धन का अवरोध होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है| अत: अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31/03/2016 को जिन अनुदानों को व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है, उन से सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए|

8 रसीद बुक्स से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा रसीद बुक्स के बारे में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 (4 तथा 5) का अनुसरण नहीं किया जा रहा है| चयनित मासों में आय की पड़ताल दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर उपरोक्त नियमों में दिए गये निर्देशानुसार जिला पंचायत अधिकारी तथा प्रधान द्वारा काउंटर सर्टिफिकेट नही दिया जा रहा था, जोकि निम्नलिखित कुछ प्रकरणों से स्पष्ट होता है| इसके अतिरिक्त रसीद बुक स्टोक रजिस्टर से यह स्पष्ट नहीं होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा कितनी रसीद बुक्स समाप्त की जा चुकी हैं तथा कितनी शेष है| अत: उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इनके बारे में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए| उपरोक्त के अतिरिक्त भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए|

रसीद बुक संख्यां	टिप्पणी
106101 से 106200	रसीद बुक के आरम्भ में नियमानुसार प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं|
1062001 से 106300	यथोपरि
106501 से 106600	यथोपरि
105701 से 105800	यथोपरि

9 रोकड़ बही से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे

(क) रोकड़ बही के रख रखाव में कमियों के बारे में

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा ही प्र० पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7(1,2 व 3) तथा 10 (3) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है| रोकड़ बही में कटिंग्स एवं ओवर राइटिंग की गई थी| रोकड़ बही में कई तिथियों को वाउचर संख्यां तथा कई बिलों/कैश मिमों पर प्रस्ताव संख्यां नहीं लिखी गई थी| रोकड़ बही में कई तिथियों को प्रविष्टि यों का सत्यापन नहीं किया गया था| इसके अलावा माह के अंत में नियमानुसार प्रधान द्वारा न तो प्रमाण पत्र दिया जा रहा था तथा न ही वर्ष के अंत में कैश/बैंक्स के शेषों का विवरण दिया गया था| इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक राशि रखी गई थी| इन अनियमितताओं से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है, अत: इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इनके बारे में आवश्यक अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए| उपरोक्त के अतिरिक्त भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए|

रोकड़ बही	पृष्ठ संख्यां	माह / अवधि	टिप्पणी
रोकड़ बही स्वस्त्रोत तथा अनुदान	31 से 35	19/12/15 से 07/01/16	रोकड़ बही में प्रविष्टियों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन नही किया गया था|
	31 तथा 32	12/2015	रोकड़ बही में कटिंग्स/ओवर राटिंग की गई थी|
	82 तथा 83	31/03/14	प्रधान द्वारा माह के अंत में प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था तथा सचिव द्वारा नगद / बैंकों के शेषों का विवरण वर्ष के अंत में नहीं दिया गया था|
	12 से 30	29/10/14 से 24/03/15	रोकड़ बही में वाउचर संख्यां नहीं लिखी गई थी|

	11	10/14	वाउचर ₹25000/- (इंटो का क्रय) पर प्रस्ताव संख्यां नहीं लिखी गई थी|
	13	10/14	यथोपरि (₹21,200, रोडी का क्रय)
	52	17/09/13 से 29/09/13	हस्तगत ₹4888/-
मनरेगा	----------------	12/08/14 से 11/15(31/03/16)	हस्तगत ₹1000/- से अधिक

(ख) रोकड़ बही के पृष्ठ संख्यां 32 पर दिनांक 31/12/15 पर सभी बैंक्स का अंतिम शेष ₹732789/- दर्शाया गया था परन्तु दिनांक 01/01/16 को बैंक्स का आरम्भिक शेष ₹1108/- अधिक अर्थात ₹731681/- दर्शाया गया था| अत: इस बारे वस्तु स्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए|

10 आय से संबन्धित दस्तावेज़ प्रस्तुत न करना

आय की पड़ताल के दौरान न तो निम्नलिखित प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित दस्तावेज अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए तथा न ही अनुदान रजिस्टर प्रस्तुत किया गया जिस कारण प्राप्त हुई इन राशियों के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी| इस से यह भी प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख रखाव ही नही किया जा रहा है| अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा निम्नलिखित प्राप्तियों से सम्बन्धित दस्तावेज/पत्र तथा अनुदान रजिस्टर आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए|

रोकड़ बही	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	रसीद संख्यां / दिनांक	राशि (र०)	टिप्पणी
स्वस्त्रोत एवं अनुदान	45	106839 / 12/08/13	150000/-	BBDO कुनिहार से प्राप्त राशि |
	45	106338 / 12/08/13	4991/-	यथोपरि
	45	100841 / 12/08/13	1600/-	यथोपरि
	46	106842 / 12/08/13	4400/-	यथोपरि
	46	106843 /	26000/-	यथोपरि

		12/08/13		
	46	106844 / 12/08/13	18000/-	यथोपरि
	48	106372 / 16/08/13	425000/-	यथोपरि
	48	106373 / 16/08/13	47000/-	यथोपरि
	29	105495 / 18/03/15	120000/-	भवन प्राचीन पाठशाला, बातल हेतु|
	29	105496 / 18/03/15	8000/-	सामुदायिक शौचालय रहेड हेतु|
	30	105497 / 24/03/15	98000/-	सराय भवन गाहर हेतु|
	30	105498 / 24/03/15	40000/-	खेल मैदान बातल हेतु|
	29	105669 / 30/11/15	100000/-	प्राचीन पाठशाला बातल हेतु|
	29	105670 / 30/11/15	90000/-	रिटेनिंग वाल हेतु|
	29	105671 / 30/11/15	150000/-	सराय भवन बातल हेतु|
	29	106672 / 30/11/15	8000/-	शौचालय निर्माण हेतु|
		कुल	1290991	

11 व्यय से संबन्धित अनियमितताए

(क) ग्राम पंचायत द्‌वारा ₹93/- का अनुचित भुगतान किये जाने बारे

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में ₹93/- का अनुचित भुगतान किया गया था| अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उपयुक्त स्त्रोत से ₹93 की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए|

रोकड़ बही	पृष्ठ संख्यां	माह	बिल का विलम्ब शुल्क सहित भुगतान की गई राशी (र०) (1)	जितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था (र०) (2)	विलम्ब शुल्क का भुगतान । (1-2)	टिप्पणी
स्वस्त्रोत तथा	11	10/14	177/-	173/-	4/-	विलम्ब शुल्क का भुगतान ।

अनुदान						
	11	10/14	350/-	344/-	6/-	यथोपरि
	11	10/14	----------	---------	40/- (विलम्ब शुल्क)	यथोपरि
	11	10/14	------------	----------	40/-	-------
	27	11/15	185	182/-	3/-	------
				कुल योग	93/-	

(ख) निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आकलन, प्रशासनिक एवं तकीनीकी स्वीकृतियां तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ न करना तथा मेटीरियल की खपत को न दर्शाया जाना

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने पर भी हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 94 तथा 101 में दिए गये निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आकलन (estimate) उनकी प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियां प्रस्तुत नहीं की गई तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं (measurement books) में प्रविष्टियाँ भी नहीं दर्शाई गई | इसके अतिरिक्त माप पुस्तिकाओं के रख रखाव से सम्बन्धित रजिस्टर भी अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए| इन सभी अनियमितताऑ का विवरण परिशिष्ट "ख" पर दिया गया है। अत: इन अनियमितताओ बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वर्णित विभिन्न निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय से सम्बन्धित आकलन, प्राशासनिक व तकीनीकी स्वीकृतियां, सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं माप पुस्तिका रजिस्टर सहित तथा तकनीकी प्राधिकारी द्वारा की गई उनकी आकलन रिपोर्ट (assessment report) तथा मेटीरियल खपत विवरणीया (material consumption statements) आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए|

(ग) क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज (quotations) प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान बार-2 आग्रह करने पर भी निम्नलिखित किये गये क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज (quotations) अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका की क्रय करने से पूर्व हि० प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 67 में दिए गये निर्देशों के अनुसार विहित प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं| अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज (quotations) आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए|

रोकड़ बही	रोकड़ भी पृष्ठ संख्यां	माह	राशि	विवरण
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	45	08/13	3830/-	रोडी, रेत आदि|
	45	08/13	3000/-	शेटरिंग हेतु|
	46	08/13	1023/-	रोडी के क्रय हेतु|
	48	08/13	3750/-	इंट के क्रय हेतु|
	49	08/13	3500/-	रोडी के क्रय हेतु|
	49	08/13	7440/-	सीमेंट के क्रय हेतु|
	49	08/13	7000/-	रोडी के क्रय हेतु|
	49	08/13	2200/-	स्टोन के क्रय हेतु|
	11	10/14	25000/-	इंट के क्रय हेतु|
	12	10/14	1312/-	सीमेंट का ढुलान
	12	10/14	2350/-	वाटर फिटिंग्स का क्रय
	13	10/14	88270/- (3790+21200+24580+35100+3600)	सरीया,रोडी,रेत आदि का क्रय|
	14	10/14	60830/- (3200+18800+18587+20243)	सरिया का क्रय तथा किराया आदि|
	28	11/15	5085/-	सरिये का क्रय|
	28	11/15	16722/-	इंट व बजरी का भुगतान|
	28	11/15	4913/-	वाटर फिटिंगस का क्रय|
	28	11/15	5000/-	रेत का क्रय
	28	11/15	26700/-	रेत व बजरी का भुगतान|
	28	11/15	59170/-	इंटर लोकिंग टाइल्स के क्रय से सम्बन्धित कोटेशने quotations संलग्न थी परन्तु उन पर

				उन्हें एकत्रित करने, खोलने सम्बन्धी कोई भी तिथि नहीं थी। न तो क्रय समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर थे व न ही तुलनात्मक विवरणी तैयार की गई थी। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए।

(घ) आवास योजना/अटल आवास योजना के अंतर्गत भुगतान की गई राशि से सम्बन्धी अनियमितताओं के बारे में

अंकेक्षण के दौरान व्यय की पड़ताल के दौरान यह प्रतीत हुआ कि लाभार्थीयों को मकान के निर्माण हेतु किश्तों का भुगतान प्रधान तथा सम्बन्धित वार्ड पंच के इस तथ्य के सत्यापन करवाए बिना ही किया जा रहा है कि लाभार्थी द्वारा वास्तव में निर्देशानुसार अपेक्षित स्तर का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया था। वाउचर के साथ न तो उनके इस बारे सत्यापन किये जाने सम्बन्धी कोई दस्तावेज संलग्न पाया गया न ही मांगे जाने पर यह प्रस्तुत किया गया। उक्त सत्यापन के अभाव में इस तथ्य की पुष्टि नही की जा सकी कि लाभार्थी वास्तव में किश्त प्राप्त करने के योग्य थे तथा उनके द्वारा निर्देशानुसार मकान का अपेक्षित स्तर तक का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया था। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है। अत: इनके बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ -2 अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां / माह	राशि (र०)	टिपन्नी
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	47 / 08/13	18000/-	श्री दिवाकर को IAY के अंतर्गत दूसरी किश्त का भुगतान।
	47 / 08/13	20000/-	श्री पवन को AAY के अंतर्गत दूसरी किश्त का भुगतान।
	48 / 08/13	15000/-	श्री अमरनाथ को IAY के अंतर्गत तीसरी किश्त का भुगतान।

(ड.) अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारे

अंकेक्षण के दौरान लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित वाउचर्स तथा सम्बन्धित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये , जोकि एक गंभीर अनियमितता है| इस कारण किये गये भुगतान एवं अग्रिम राशियों के समायोजन के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी| अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित वाउचर्स पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जा ने सुनिश्चित किए जाए | इसके अतिरिक्त भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए|

रोकड़ बही	रोकड़ भी पृष्ठ संख्यां	माह / वाउचर संख्यां	राशि	विवरण
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	45	08/13 / 50	1116/-	सीमेंट जारी / क्रय
	46	08/13 / 54	4464/-	सीमेंट जारी / क्रय
	46	08/13 / 55	9200/-	मस्टर रोल संख्यां 5159 की शेष राशि का भुगतान|
	46	08/13	5580/-	सीमेंट की खपत का समायोजन|
	47	08/13 / 62	486567/-	प्रोजेक्ट ऑफिसर को भुगतान|
	48	08/13 / 67	14000/-	पेशगी वार्ड पंच
	49	08/13 / 73	7440/-	सीमेंट क्रय
	49	08/13 /	150000/-	हि० प्र० एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को अग्रिम भुगतान परन्तु न तो क्रय की जाने वाली वस्तुओं का विवरण आदि दर्ज था तथा न ही दी गई इस अग्रिम राशि का समायोजन दर्शाया गया	
	12	10/14	2200/-	शेष राशि का भुगतान
	13	10/14	3790/-	यथोपरि
	27	11/15	620/-	यथोपरि
	27	11/15	3060/-	---------

(च) **भुगतानों के एवज में प्राप्त रसीदें प्रस्तुत न करनाः-**

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय की एवज में रसीदें प्राप्त नहीं की जा रही है जोकि हि० प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निदेशों की अवेहलना है तथा यह निम्न कुछ प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है| अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित रसीदें अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में रसीदें ली जानी सुनिश्चित की जाए|

रोकड़ बही	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	माह	राशि (र०)	विवरण
स्वस्त्रोत एवं अनुदान	12	10/14	200/-	सीमेंट का ढलान |
	12	10/14	1312/-	सीमेंट, शेटरिंग का ढलान |
	13	10/14	24580/-	रेत तथा सीमेंट का क्रय एवं किराया |
	13	10/14	35100/-	रेत का क्रय |
	13 13	10/14	3600/-	रेत का क्रय एवं किराया, तथा लोडिंग आदि |

(छ) **मस्टर रोल्स से सम्बन्धी अनियमितताओं के बारे में**

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि मस्टर रोल्स द्वारा भुगतान करते समय मस्टर रोल्स पर पूरा विवरण नही भरा जा रहा है| कई मस्टर रोल्स पर प्रधान के पारित आदेश भी नहीं पाए गए| मस्टर रोल जारी करने से संबन्धित रजिस्टर का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा है तथा पूर्ण विवरण भी नही भरा जा रहा है| इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है| अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ -2 इस बारे आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए| इसके अतिरिक्त भविष्य में मस्टर रोल्स पर पूरा विवरण भरा जाना तथा मस्टर रोल रजिस्टर का सही रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

रोकड़ बही	पृष्ठ संख्यां	माह	राशि	टिप्पणी

स्वस्त्रोत तथा अनुदान	46	08/13	4156/- (8722/- मस्टर रोल का आंशिक भुगतान)	मस्टर रोल (5158) के पिछले पृष्ठ पर कोई भी विवरण नहीं भरा गया था तथा मस्टरोल पर अंकित तिथियाँ मस्टर रोल रजिस्टर में दर्ज मस्टर रोल जारी करने तथा मस्टरोल की अवधि सम्बन्धी तिथियों से मेल नहीं खाती थी |
	48	08/13	6482/-	मस्टर रोल (5173) के पिछले पृष्ठ पर विवरण नहीं भरा गया था |
	28	11/15	10280/-	मास्टर रोल रजिस्टर में मस्टर रोल की प्रविष्टि नही दिखाई गई (मस्टर रोल संख्यां 5197)|
मस्टर रोल्स को क्रमानुसार जारी नहीं किया जा रहा था | मस्टरोल रजिस्टर में 2279 के बाद 2284 तथा 5195 के बाद 5187,5184 तथा 5186 जारी किये गए दर्शाए गए थे |				

(ज) वाउचर पर प्रधान के आदेश पारित किए बिना ही भुगतान किये जाने बारे

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया कि वाउचरस पर प्रधान के आदेश पारित किए बिना ही कई भुगतान किये गए थे जोकि हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 7 (1) में दिए गए निर्देशों के प्रतिकूल है तथा अनियमित है | इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है | अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ -2 इस बारे आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए | इसके अतिरिक्त भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गए निर्देशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए |

रोकड़ बही	पृष्ठ संख्यां	माह	राशि
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	27	11/15	243
	27	11/15	185/-
	28	11/15	5085/-
	28	11/15	16722/-
	28	11/15	10280/-
	28	11/15	4913/-
	28	11/15	59170/-
	28	11/15	5000/-
	28	11/15	26700/-
	29	11/15	1000/-

(झ) वास्तविक भुगतान से अधिक राशि की रसीद प्राप्त करने बारे

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि विभिन्न व्यक्तियों जिनकी सेवायें लेने के उपरान्त भुगतान किये गये थे उन से वाउचर की वास्तव में पारित तथा भुगतान की गई राशि से अधिक की रसीदें प्राप्त की गई थी जोकि अनियमित है| इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है| अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए|

रोकड बही	पृष्ठ संख्यां	माह	बिल/मस्टरोल की राशि	वास्तव में किया गया भुगतान	टिप्पणी
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	46	08/13	2600/-	1023/-	व्यय ₹1023/- का पारित किया था परन्तु प्राप्त करता ने ₹2600/- की प्राप्ति दर्शाई थी|
	98	11/15	20520/- (मस्टर रोल संख्यां 2284)	10000/- तथा 10500/-	मस्टरोल से सम्बन्धित राशि का भुगतान दो किश्तों में किया गया था| पहली किश्त का भुगतान करते समय ही प्रत्येक दिहाड़ीदारों से कुल देय राशि पर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवा लिए गए थे जबकि दोनों किश्ते जारी करते समय जितनी राशि का भुगतान किया गया था प्रत्येक दिहाड़ीदार से केवल उतनी राशि की रसीदें प्राप्त करनी अपेक्षित थी|

12 स्टोर / स्टोक

(क) ग्राम पंचायत के भडार के प्रत्यक्ष सत्यापन (physical verification) से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे

लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा भंडार का भौतिक सत्यापन किये जाने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया| हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार ग्राम पंचायत भंडार का प्रत्येक 6 माह के पश्चात भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है| इस प्रकार सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण यह प्रतीत होता है कि भडार का भौतिक सत्यापन किया ही नही जा रहा है जोकि निर्देशों की स्पष्ट अवेहलना है| अत; इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार (नियम 73 तथा 77) अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए| इसके अतिरिक्त

भविष्य में भंडार का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

(ख) **सम्बन्धित रजिस्टर्स में प्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने बारे :-**

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित बिलों के भुगतान एवं क्रय की गई वस्तुओं की प्राप्ति एवं जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टोर/स्टोक/स्टेशनरी रजिस्टर्स में नहीं दर्शाई गई , जोकि एक गम्भीर अनियमितता है| अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 तथा 72 के अतर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किए जाए|

रोकड़ बही	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	माह	राशि (र०)	विवरण
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	45	08/13	3830/-	रोडी, रेत आदि
			3000/-	शेटरिंग
	46	08/13	1023/-	रोडी के क्रय हेतु	
	48	08/13	3750/-	इंट के क्रय हेतु	
	49	08/13	3500/-	रोडी के क्रय हेतु	
	49	08/13	7440/-	सीमेंट के क्रय हेतु	
	49	08/13	7000/-	रोडी के क्रय हेतु	
	49	08/13	2200/-	स्टोन के क्रय हेतु	
	50	08/13	480/-	स्टेशनरी के क्रय हेतु	
	11	10/14	25000/-	इंट के क्रय हेतु	
	12	10/14	1312/-	सीमेंट का धुलान
	12	10/14	2350/-	वाटर फिटिंग्स का क्रय
	13	10/14	88270/-	सरीया,रोडी,रेत आदि का क्रय	

			(3790+21200+24580+35100+3600)	
	14	10/14	60830/- (3200+18800+18587+20243)	सरिया का क्रय तथा किराया आदि	
	28	11/15	5085/-	सरिये का क्रय	
	28	11/15	16722/-	इंट व बजरी का भुगतान	
	28	11/15	4913/-	वाटर फिटिंगस का क्रय	
	28	11/15	5000/-	रेत का क्रय
	28	11/15	26700/-	रेत व बजरी का भुगतान	
	28	11/15	59170/-	इंटर लोकिंग टाइलस का क्रय	

(ग) Inventory Register (मुख्य रजिस्टर) का रख रखाव न किये जाने बारे :-

ग्राम पंचायत में inventoryरजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा रहा है , जिस कारण कार्यालय में प्रयोग में लाये जा रहे विभिन्न रजिस्टरों की सही जानकारी प्राप्त नही होती है| अतः यह सुझाव दिया जाता है कि ग्राम पंचायत के सभी रोकड़ बहियों, स्टोर/स्टोक रजिस्टरों तथा अन्य विविध रजिस्टरों को Inventory Register में दर्ज किया जाए तथा भविष्य में नए रजिस्ट रों को प्रयोग में लाने से पूर्व इन्हे Inventory Register inventoryregisterमें दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि कार्यालय में प्रयोग में लाये जा रहे विभिन्न रजिस्टरों की सही जानकारी प्राप्त हो सके|

(घ) विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिल्लेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था| अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर, अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, स्टोर/स्टोक रजिस्टर आदि कई बार मांगने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका रख रखाव ही नही किया जा रहा है| अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए| भविष्य में नियमानुसार/निर्देशानुसार रजिस्टर्स का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनका update किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

12 अग्रिम

(क) अस्थाई अग्रिमों बारे

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट म)** के अनुसार दिनांक 31/03/16 को कोई भी अग्रिम राशि असमायोजित नहीं थी| इस संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 30 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अस्थाई अग्रिम रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा रही है क्योंकि बार-2 आग्रह करने के उपरान्त भी यह अंकेक्षण के अवलोकन हे तु प्रस्तुत नही किया गया| अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा निर्देशानुसार विहित प्रपत्र पर अस्थाई अग्रिम रजिस्टर तैयार करके इसे आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

(ख) अनियमित रूप से अग्रिम राशि जारी करने बारे

ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु राशि जारी करते समय हि०प्र० पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 107 में दिए गये निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही है| नियम में दिए गए निर्देशों के अनुसार पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु राशियाँ participatory body या registered body के माध्यम से राशि जारी की जानी अपेक्षित है| इसके इलावा निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय का भुगतान मस्टर रोल तथा मेटीरियल के वास्तिवक बिलों के आधार पर ही किया जाना अपेक्षित है , परन्तु निम्नलिखित कुछ प्रकरणों में पाया गया कि निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु व्यक्तिगत रूप से अग्रिम राशियाँ प्रदान की गई थी, जबकि नियम में ऐसा कोई भी प्रावधान प्रतीत नहीं होता है| अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए| इसके अतिरिक्त भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गये निर्देशों का कड़ाई से अनुसरण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए|

रोकड़ बही	पृष्ठ संख्या	माह	अग्रिम राशि	टिप्पणी
स्व: स्त्रोत तथा अनुदान	48	08/13	14000/-	वार्ड पंच को अग्रिम राशि जारी।
	49	08/13	50000/-	यथोपरि

14 विविध :-

(क) विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आय की वसूली के शेष होने बारे जानकारी उपलब्ध न करवाना

अंकेक्षण अधियाचना संख्यां 1 दिनांक 18/07/16 तथा अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां 12 दिनांक 04/08/16 द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से कई बार विभिन्न स्त्रोतों से पंचायत द्वारा जितनी आय की वसूली करनी शेष थी, उस से सम्बन्धित जानकारी मांगी गई थी , परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक यह जानकारी अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई| अंकेक्षण

के दौरान पंचायत की आय से सम्बन्धित अभिलेख अवलोकन हेतु मांगा गए था , परन्तु बार-2 आग्रह करने के उपरान्त भी यह अबिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया , जिससे यह भी प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में आय से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा है| अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 ग्राम पंचायत की आय से सम्बन्धित अभिलेखों का अधतनीकरण (update) करके दिनांक 31/03/16 को विभिन्न आय के स्त्रोतों से शेष वसूली बारे विवरण तैयार करके तथा उसकी वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए| इसके अतिरिक्त भविष्य में आय से सम्बन्धित अभिलेखों का नियमित रूप से अधतनीकरण (update) तथा आय की समय पर वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए|

(**ख) बजट आकलन (budget estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारे**

अंकेक्षण अधियाचना संख्यां 1 दिनांक 18/07/16 तथा अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां 12 दिनांक 04/08/16 द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के उपरान्त भी हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 में दिए गये निर्देशों के अनुसार अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित पंचायत के पारित बजट आकलन अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए| अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित बजट आकलन आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए| इसके अतिरिक्त भविष्य में बजट आकलन निर्देशानुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार एवं पारित करवाए जाना सुनिश्चित किया जाए|

15 लघु आपत्ति विवरणिका :- अलग से जारी नहीं की गई हैं।

16 निष्कर्ष :- खातों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(iv) 5 / 2016–खण्ड–1–413–416 दिनाँकः 03.02.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत बातल़, विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.